संख्या-3/2024/001-ई 2773599 60 3 2024 सी 351364

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2330/निदे0म0क0/अनुदान/नि0बो0/आवंटन/2023-24, दिनांक 06.02.2024 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व मद में लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 लागू करने के निमित्त नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 को अनुदान के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-80.00 लाख के सापेक्ष तृतीय/चतुर्थ किश्त हेतु धनराशि रू0-30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्ययय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वी कृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीयि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021900600 अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करनें के निमित नियन्त्रण बोर्ड उ. प्र. को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-ई-4-335-एक्स-2023-24, दिनांक-28 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-3/2024/001-ई 2773599 60 3 2024 सी 351364, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोतीमहल, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।